हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष/Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स/Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल/Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./मान्यता/2021/218 दिनांक : 27/09/2021

सेवा में,

डा0 बीणा शास्त्री,
सचिव/मंत्री
महिला विद्यालय डिग्री कालेज,
सतीकुण्ड कनखल, हरिद्वार।

विषयः–प्रबन्ध समिति का त्रैवार्षिक पुर्नगठन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र पत्रांक संख्या–60/2021–22 दिनांक 21.08.2021 के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि महिला विद्यालय डिग्री कालेज, सतीकुण्ड कनखल, हरिद्वार की नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति का दिनांक 21.08.2021 से आगामी तीन वर्षो के लिए निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

1.	श्री सुभाष जी घई	अध्यक्ष
2.	श्री महेश चन्द जी शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	डा0 वीणा शास्त्री	सचिव
4.	श्री सतपाल जी सूरी	सदस्य
5.	ई0 अजय सिंह	सदस्य
6.	श्रीमती सुरजीत कौर	सदस्य
7.	डा0 अरुणा मिश्रा	सदस्य
8.	श्री चितरंजन सिंह राणा	सदस्य
9.	श्री मिलनजीत सिंह	सदस्य
10.	श्रीमती ऋतु सिंह	सदस्य

विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 13.05 (क)(ख)(ग) के अनुसार प्राचार्य शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी निम्नवृत अवधियों के लिए प्रबन्ध समिति में पदेन/शिक्षक प्रतिनिधि/शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे।

दिनांक 21.08.2021 से 20.08.2022 तक प्रथम वर्ष की अवधि के लिए

1. प्राचार्य	पदेन सदस्य
2. डॉ0 मुन्नी देवी भास्कर	शिक्षक प्रतिनिधि
3. श्री दल सिंह	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि

दिनांक 21.08.2022 से 20.08.2023 तक द्वितीय वर्ष की अवधि के लिए

1. प्राचार्य	पदेन सदस्य
2. श्रीमती यासमीन अमीर	शिक्षक प्रतिनिधि
3. श्री अंकित गोईल	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि

दिनांक 21.08.2023 से 20.08.2024 तक तृतीय वर्ष की अवधि के लिए

1. प्राचार्य	पदेन सदस्य
2. डा0 शशि प्रभा	शिक्षक प्रतिनिधि
3. श्री श्रीकान्त	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि

महिला विद्यालय डिग्री कालेज सतीकुण्ड कनखल जिला हरिद्वार की उपरोक्त नवगठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जा रहा है कि नव गठित प्रबन्ध समिति के गठन में किसी भी त्रुटि/विवाद के लिए प्रबन्ध समिति स्वयं उत्तरदायी होगी।

भवदीय
25/09/21
डॉ0 अजय कुमार खण्डूड़ी
कुलसचिव

257-63

Ph. 01334-245547

महिला विद्यालय डिग्री कालेज

श्री शीशराम मैमोरियल ट्रस्ट (रजि0 नं0 101/7677) द्वारा संचालित

सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार-249408 (उत्तराखण्ड)

प्रेषक :-

प्राचार्या/सचिव

सेवा में......कुलपति / कुलसचिव

हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

श्रीनगर (गढ़वाल) - 246174

कुलसचिव कार्यालय सं0 ... दि0 1/9/21 हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (ग0)

दिनांक 21.08.2021

पत्रांक 90/2021-22

विषय :- प्रबन्ध समिति का त्रैवार्षिक पुनर्गठन।

आदरणीय,

दिनाक 20 अगस्त 2021 को महाविद्यालय की पैतृक संस्था श्री शीशराम मैमोरियल ट्रस्ट एसोसिएशन ने अपनी एक आवश्यक चुनाव मीटिंग में महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज की प्रबन्ध समिति को पुनर्गठित (निर्वाचन) किया है | इससे पूर्व 20 अगस्त 2018 को जो प्रबन्ध समिति गठित हुई थी उसका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है | विश्वविद्यालय द्वारा उसके अनुमोदन का पत्र संलग्न है |

नवगठित कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा | महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त Ex-Officio सदस्यों की सूची संलग्न है | नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार हैं:

1.	श्री सुभाष जी घई	अध्यक्ष
2.	श्री महेश चन्द्र जी शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	डॉ० वीणा शास्त्री	सचिव
4.	श्री सतपाल जी सूरी	सदस्य
5.	ई० अजय सिंह	सदस्य
6.	श्रीमती सुरजीत कौर	सदस्य
7.	डॉ० अरुणा मिश्रा	सदस्य
8.	श्री चितरंजन सिंह राणा	सदस्य
9.	श्री मिलनजीत सिंह	सदस्य
10.	श्रीमती ऋतु सिंह	सदस्य

नवगठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

सादर,

(अध्यक्ष)

प्रबन्ध समिति

कुलपति सचिवालय सं0 ... दि0 01-9-2021 हे.न.ब. विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

(सचिव)

प्रबन्धक/मन्त्री

प्रबन्ध समिति

महिला विद्यालय डिग्री कालेज

सती कुण्ड, कनखल, हरिद्वार

भाग 3

अधिवर्षता की आयु

15.23– अधिवर्षिता की आयु के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेश लागू होगें।

भाग 4

अन्य उपबन्ध

15.24– इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गई कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय मे दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा **परिशिष्ट 'ग'** के साथ पठित **परिशिष्ट 'घ'** मे दिये गये प्रपत्र की शर्तो के अनुसार समझी जायेगी।

15.25– परिनियम 15.04(1) के खण्ड (ख),खण्ड (ग), खण्ड (घ),या खण्ड (ड) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रुप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

15.26– (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक **परिशिष्ट 'ड'** के प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रति में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बद्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायेगी।

15.27– विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

15.28– जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी सकती है।

अध्याय 16

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

16.01– इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्यरुप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नही होंगे।

16.02– किसी अध्यापक को दस मास से अनाधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक **परिशिष्ट "घ"** में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1)या (2)में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

16.03– (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एंव कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा

(2) परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 16.04(1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

16.04– (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :–

(क) कर्तव्य की जानबूझ कर उपेक्षा; धारा 35(1)(ख)

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है;

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्धदोष होना;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता; तथा

(ज) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्धक के कारण पद्च्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के, सेवा संविदा समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में यथास्थिति तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन दिया या वापस किया जायेगा :

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

16.05– किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

16.06– (1) परिनियम 16.04 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक के विरूद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय, और उसे

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,
(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और
(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने के लिये, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु प्रबन्धतंत्र या उसके द्वारा जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतंत्र किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने सा उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायेगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगी जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतंत्र अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या एकाधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है अर्थात् –

(1) विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना,
(2) तीन वर्ष से अनाधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वार्षिक वृद्धि रोकना, तथा
(3) उसको निलम्बन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अन्तर्गत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना।

प्रबन्धतंत्र द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायेगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

16.07– यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धतंत्र उसको परिनियम 16.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ड) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपातस्थिति में, (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायेगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

16.08– परिनियम 16.06 के खण्ड (2) और परिनियम 16.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो सम्मिलित नहीं की जायेगी।

16.09– सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में किसी परीक्षा के सम्बद्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में पच्चीस हजार रूपये से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

16.10– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचित या नाम–निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचन या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 16.11 द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

16.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जाये जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

18.09– (1) स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायेगा जो उस महाविद्यालय का नाम उल्लिखित करेगा जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिए परीक्षा–फल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा जैसी कार्य परिषद् महाविद्यालय की दक्षता का अनुभव के लिये समय–समय पर अपेक्षा करे।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियां प्रदत्त करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करे।

18.10– कार्य परिषद् किसी भी समय निरीक्षक–बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् उसकी यह राय हो कि महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है या यह कि शिक्षा के हित में परिनियम 18.07 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेना आवश्यक है तो कार्य–परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय की स्थिति में प्रतिवर्तित हो जायेगा।

18.11– (1) अपने कार्य के समुचित नियोजन तथा संचालन के लिये प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक शैक्षिक–परिषद् और प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विषयों के संबंध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(2) शैक्षिक परिषद् में समस्त विभागाध्यक्ष, पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिये पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिसका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, परिषद् के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(3) शैक्षिक–परिषद् तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा किये गये समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद् के माध्यम से भेजे जायेंगे।

(4) संकाय बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर विचार करने के लिये संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हो, मास में एक बार) होगा और प्राचार्य को सलाह देगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायेगा।

18.12– इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित शिक्षा पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जायें।

अध्याय 19

भाग 1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा संबंधी शर्तें

19.01– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में–

(1) चतुर्थ वर्ग का पद तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतनमान से कम वेतनमान के पद से है और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारीवर्ग का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) महाविद्यालय का तात्पर्य अधिनियम या विश्वविद्यालय के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(3) कर्मचारी का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी (जो अध्यापक न हो) से है और इसके व्याकर्णिक रूपभेद तथा सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(4) संघ की सशस्त्र सेना का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायु सेना से है और इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों का सशस्त्र सेना भी है।

(5) अंगहीन भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उस भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में (चाहे योधक के रूप में या अनायोधक के रूप में) कम से कम छः मास की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो और जिसे –

(i) दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो या निर्मुक्त होने तक रिजर्व में स्थानान्तरित किया हो ; या

(ii) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिये छः मास से अनाधिक सेवा करनी है।

19.02– (1) इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जायेगी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारियों के विरूद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप से न कर दिया जाय :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात पर उस अवधि के जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा–समाप्त करने पर लागू नहीं होगा:

परन्तु इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर जिसमें जांच विचाराधीन हो, लागू नहीं होगी, किन्तु कोई ऐसा आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थगित प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

(4) खण्ड (2) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध कोई अपील सम्भागीय अपर शिक्षा निदेशक को दी जायेगी।

19.03– (1) नैत्यिक लिपिक के पदों पर या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लिखित पदों से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान में या उससे उच्च वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्त समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन करने पश्चात् खण्ड (6) में उपबंधित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी :

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति, नैत्यिक लिपिकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वर्सर के पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हता रखने वाले वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी और सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। वर्तमान कर्मचारीवर्ग में से अर्ह और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वर्सर के पदो पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति को विज्ञापित करने के पश्चात् चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के दो मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दे या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजे तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी। यदि अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न पाया जाय तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढ़ाई हुई अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नही होगी।

19.04– परिनियम 19.07 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

19.05– महाविद्यालय में नियोजन के लिये अभ्यर्थी का –

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (जिसका पहले तांगानेका और जंजीबार नाम था) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

19.06– (1) किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है :–

(एक) लिपिक वर्ग –

नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एंव लेखाकार और मुख्य लिपिक के पद के लिए इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा :

परन्तु मुख्य लिपिक एंव लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसी स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

(दो) प्रयोगशाला सहायक –

प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए, उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला का सम्बन्ध हो, इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, या हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा और सम्बद्ध विषय के प्रयोगशाला में प्रयोगशाला वेयरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

(तीन) कार्यालय अधीक्षक–

कार्यालय अधीक्षक के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(चार) सहायक लेखाकार–

विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा परीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(पांच) वर्सर –

वर्सर के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(छः) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी वर्ग –

चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा पांच उत्तीर्ण की हो:

परन्तु सफाईकार के पद के लिये किसी शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा नहीं की जायेगी किन्तु ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ और लिख सकता हो।

(सात) अन्य पद–

पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आने वाले किसी अन्य पद के लिये, ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(क) खण्ड (1) मे दी गयी किसी बात के होते हुए भी,–

(एक) तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियो में किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता जहां कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता किसी विश्वविद्यालय की उपाधि हो, वहां हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी और जहां विहित अर्हता हाईस्कूल या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, वहां शिथिलता नहीं दी जायेगी :

(दो) चतुर्थ वर्ग की सेवाओं और पदों के लिये ऐसी सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में अन्यथा उपयुक्त समझे गये भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित न होगी।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जिसके पास इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पश्चात खण्ड (1) में विहित अर्हता न हो, पदोन्नति या स्थायी किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह–उपर्युक्त अर्हतायें प्राप्त न कर ले :

परन्तु खण्ड (1) किसी बात का प्रभाव इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व की गयी पदोन्नति और स्थायीकरण पर नहीं पड़ेगा।

19.07– (1) किसी महाविद्यालय में, सीधी भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों हेतु समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार होगी :

परन्तु यह और कि परिनियम 19.16 में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी :

(2) जिस वर्ष भर्ती की जाय उस वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक की आयु, खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ आयु होगी।

(3) चतुर्थ वर्ग के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में, जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा की हो और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले नैत्यिक लिपिक के पद या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिये विहित अर्हता रखता हो, अधिकतम आयु सीमा में करके 10 वर्ष तक शिथिलीकरण किया जा सकता है।

19.08– नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती द्वारा नियोजन के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी–राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नहीं समझे जायेंगे।

19.09– कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

19.10– कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

स्पष्टीकरण–भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

19.11– (1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के संबंध में उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा धारा 7

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबन्धतंत्र या प्राचार्य के आदेशों या निर्देशों का, जिसमें राज्य सरकार के या विश्वविद्यालय के आदेशों के कार्यान्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित है, अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजी रखेगा। जिसमें उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट प्रति वर्ष लिखी जायेगी। सम्बद्ध कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तद्नुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्टि से व्यथित कोई कर्मचारी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबन्धक को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने के औचित्य के आधार पर, प्रतिकूल प्रविष्टि की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायेगी।

19.12– कोई कर्मचारी जो परिनियम 19.11 के खण्ड (1) और (2) में से किसी एक या दोनों उपबन्ध का पालन नहीं करता है अनुशासनिक कार्यवाही की भागी होगी।

19.13– (1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक से अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा–

(क) कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा;
(ख) दुराचरण;
(ग) अधीनता या अवज्ञा;
(घ) कर्त्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता;
(ङ) सरकार या सम्बद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विरूद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्य–कलाप;
(च) नैतिक पतन समन्वित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्याग–पत्र देता है तो वह महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को एक मास पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले में एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार, महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है तो प्रबन्धतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

(3) किसी स्थायी कर्मचारी को सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर, उसे तीन मास की लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है। किसी पद को निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक किसी आधार पर समाप्त किया जा सकता है–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी।
(ख) छात्रों की भर्ती में कमी,
(ग) उस विषय में, जिससे पद सम्बन्धित हो, अध्यापन–कार्य का बन्द किया जाना।

19.14– किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

19.15– (1) समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी सम्बन्धी नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) प्राचार्य को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी के लिए कर्मचारी के आवेदन–पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रबन्धक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृति करने का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे। (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्टी स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियां उस व्यक्ति को, जो उसके द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो, भेजेगा। प्राचार्य वेतन बिल में छुट्टी की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

19.16– राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी, जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के पश्चात्, उस वेतन से जो वह उस महाविद्यालय में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नहीं होगा, यदि कर्मचारी–

(क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और ऐसा महाविद्यालय सहायता अनुदान सूची में था।

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिए पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसे अनुक्त करने में कोई आपत्ति न हो।

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय मे प्रबन्ध में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी कोई असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी जिसमे कर्मचारी ने उस महाविद्यालय को छोडा।

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बद्ध वेतन संवितरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण :–

(1) नये महाविद्यालय में नियुक्ति किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिये नहीं की जायेगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना नये महाविद्यालय नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी और वार्षिक वेतन वृद्धि नये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उस महाविद्यालय मे एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् देय होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। फिर भी, उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी :–

(क) रेल यात्रा से सम्बन्धित स्थानों के लिये प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिये जो रेल से सम्बन्धित नहीं है परन्तु बस से सम्बद्ध है प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन।

(ग) उन स्थानों के लिये जो न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

संख्या: 776/XXX(2)/2019-53(01)/2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु लागू रोस्टर नीति संबंधी समस्त नियमों एवं शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण) एवं परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार 01 जुलाई, 2019 की प्रास्थिति में सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक–पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की पहली तिथि को रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की

कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

5. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो ऐसे चयनों में उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी किन्तु उक्त रोस्टर क्रमांक रिक्त रखा जायेगा और अगले चयन वर्ष में पुनः प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

6. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो समाजकल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा विभागों एवं संवर्गों हेतु निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन के चयन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

8. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट-1 एवं 2 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फ्रैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या-145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिक्रमित समझा जाय।

9. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-2 /6 (1)/XXX(2)/2019-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या-276 /XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 ~~जून~~ सितम्बर, 2019 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनारक्षित	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	**अनुसूचित जाति**	**1.14**	0.84	0.60	0.24
7	अनारक्षित	1.33	0.98	0.70	0.28
8	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	1.52	**1.12**	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	1.90	1.40	**1.00**	0.40
11	**अनुसूचित जाति**	**2.09**	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अनारक्षित	2.66	1.96	1.40	0.56
15	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	2.85	**2.10**	1.50	0.60
16	**अनुसूचित जाति**	**3.04**	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अनारक्षित	3.61	2.66	1.90	0.76
20	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	3.80	2.80	**2.00**	0.80
21	**अनुसूचित जाति**	**3.99**	2.94	2.10	0.84
22	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	4.18	**3.08**	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनारक्षित	4.56	3.36	2.40	0.96
25	**अनुसूचित जनजाति**	4.75	3.50	2.50	**1.00**
26	अनारक्षित	4.94	3.64	2.60	1.04
27	**अनुसूचित जाति**	**5.13**	3.78	2.70	1.08
28	अनारक्षित	5.32	3.92	2.80	1.12
29	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	5.51	**4.06**	2.90	1.16
30	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	5.70	4.20	**3.00**	1.20
31	अनारक्षित	5.89	4.34	3.10	1.24
32	**अनुसूचित जाति**	**6.08**	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

35	अनारक्षित	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनुसूचित जाति	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनारक्षित	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अनुसूचित जाति	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अन्य पिछड़ा वर्ग	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनारक्षित	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अनुसूचित जन जाति	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनुसूचित जाति	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अनारक्षित	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनारक्षित	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनुसूचित जाति	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनारक्षित	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अनुसूचित जाति	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अन्य पिछड़ा वर्ग	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनारक्षित	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अनुसूचित जाति	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनारक्षित	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनुसूचित जाति	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनुसूचित जनजाति	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनारक्षित	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अनारक्षित	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.82	10.92	7.80	3.12

79	अनुसूचित जाति	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनारक्षित	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अनारक्षित	15.96	11.76	8.40	3.36
85	अनुसूचित जाति	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अन्य पिछड़ा वर्ग	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनुसूचित जाति	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अनारक्षित	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनुसूचित जाति	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनारक्षित	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनुसूचित जनजाति	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनुसूचित जाति	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

शितमकर (handwritten) परिशिष्ट–2

शासनादेश संख्या: 376 /XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 जून, 2019 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	[illegible] 2%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06
4	**उत्तराखण्ड महिला**	**1.20**	0.20	0.16	0.08
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12
7	**उत्तराखण्ड महिला**	**2.10**	0.35	0.28	0.14
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18
10	**उत्तराखण्ड महिला**	**3.00**	0.50	0.40	0.20
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26
14	**उत्तराखण्ड महिला**	**4.20**	0.70	0.56	0.28
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32
17	**उत्तराखण्ड महिला**	**5.10**	0.85	0.68	0.34
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38
20	**उत्तराखण्ड महिला**	**6.00**	1.00	0.80	0.40
21	**भूतपूर्व सैनिक**	6.30	**1.05**	0.84	0.42
22	अनारक्षित	6.60	1.10	0.88	0.44
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46
24	**उत्तराखण्ड महिला**	**7.20**	1.20	0.96	0.48
25	**दिव्यांगजन**	7.50	1.25	**1.00**	0.50
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52
27	**उत्तराखण्ड महिला**	**8.10**	1.35	1.08	0.54
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58
30	**उत्तराखण्ड महिला**	**9.00**	1.50	1.20	0.60
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66
34	**उत्तराखण्ड महिला**	**10.20**	1.70	1.36	0.68

(signature)

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80
41	अनारक्षित	12.30	2.05	1.64	0.82
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22
62	अनारक्षित	18.60	3.10	2.48	1.24
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56

79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60
81	अनारक्षित	24.30	4.05	3.24	1.62
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88
95	अनारक्षित	28.50	4.75	3.80	1.90
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1424 /XXIV(4)/2019-01(28)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषय– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार संशोधन अधिनियम को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना संख्या–271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 जारी/निर्गत किया गया है।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त (परिशिष्ट–'क')।

भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1424 (1)/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक– यथोक्त (परिशिष्ट–'क')

आज्ञा से,
(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-'ख'

नियम	यू.जी.सी. अधिनियम, 2018	संशोधित नियम/विनियम
नियम-1.0	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण (व्याप्ति)	तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-2	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु	उप-नियम-2.0 व 2.2 को यथावत् अंगीकृत किया जाता है। पुनर्नियुक्ति संबंधी उप-नियम-2.1 राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जाता है।
नियम-3	नियुक्ति एवं अर्हतायें उप-नियम-3.1 से 3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के उप-नियम-3.1 से 3.10 तथा 3.12 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। उप-नियम-3.11 में अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।
नियम-4	सीधी भर्ती/अर्हतायें उप-नियम-4.1	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य/आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड) एवं उप प्राचार्य की अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.2	संगीत, पर फार्मिंग आर्टस, विजुअल आर्टस और अन्य परम्परागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी है जिनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.3	नाट्य विद्या मे सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.4	योग विद्या सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.5	पेशे से जुड़े रोजगारोपरक के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य) के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को

Scanned by CamScanner

		तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.6	भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, संकायाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.7	विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकलयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष व महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.8	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अहर्ता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुभाग–4.8 के I/II/III & IV को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य,सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1–कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2–कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3–वि0वि0 की विद्या परिषद/कार्यपरिषद द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल मे से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4–संकाय का संकायाध्यक्ष, 5–सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष 6–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नही हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।

नियम–5	उप–नियम 5.1 V,VI, VII, निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों मे सहायक आचार्य (Assistant Professor) सह आचार्य (Associate Professor) आचार्य (Professor) के चयन संबंधी प्रकिया।	उत्तराखण्ड राज्य में निम्न चार प्रकार की शैक्षिक संस्थायें संचालित है:– 1. राजकीय विश्वविद्यालय। 2. राजकीय महाविद्यालय। 3. निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय। 4. निजी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय । उक्त हेतु निम्न संशोधन किये जाते है:– 1–कैम्पस महाविद्यालयों में इन पदों पर चयन प्रक्रिया उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV के अनुसार किया जाता है। 2–राजकीय महाविद्यालय में चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु यूजीसी विनियम 2018 की तालिका–3 (ख) के अनुसार Academic Performance Indicators (APIs) लागू किए जाऐंगे। वह इस हेतु वह शिक्षको की नियुक्ति सम्बन्धी सेवा नियमावली को भी अंगीकृत करेंगे। 3–नियम–5 के 1 के V:–निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में गठित बोर्ड ऑफ गर्वनर्स / कार्य परिषद / प्रबन्ध समिति को सहायक आचार्य / सह आचार्य / आचार्य के चयन हेतु Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2, 3 (ख) को लागू करना होगा तथा चयन समिति का गठन यू0जी0सी0 विनियम 2018 की उपधारा 5.1–V के अनुसार किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा नामित एक सदस्य भी होगा। 4–निजी विश्वविद्यालय के लिए Academic Performance Indicators(APIs) सरकारी विश्वविद्यालय के अनुसार होगी (तालिका–3 'क') तथा विषय विशेषज्ञ कार्य परिषद के द्वारा नामित किया जायेगा। जिसमें एक सदस्य विजिटर द्वारा भी नामित होगा। 5–निजी संस्थान मे Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2 एवं 3 'ख' के अनुसार होगी एवं चयन समिति का गठन 5.1 के उप–भाग V, VI VII के अनुसार, जैसा कि लागू होगा, तद्नुसार होगी।
नियम–5	उप–नियम 5.1 VIII **महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य**	निजी महाविद्यालय / गैर सरकारी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में चयन प्रकिया सैक्शन 5.1 के VIII के 'क' एवं 'ख' के अनुसार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित और एक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के Alumni Association का सदस्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों के लिए वर्तमान में राज्य में प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी। बशर्ते

		कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत पदों पर प्राचार्यो को लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती से नियुक्त कर सकती है। प्राचार्य हेतु पात्रता विनियम 2018 के उप–नियम 4.1 V के अनुसार होंगे।
नियम–5	उप–नियम 5.1 IX शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के चयन हेतु प्रकिया	चयन समिति की प्रक्रिया तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम 5.1 X शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के सीएसए, प्रोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन	सैक्शन 5.1 X में जो व्यवस्था की गयी है उसमें विश्वविद्यालय के लिए X 'क' की प्रकिया होगी।
		राजकीय महाविद्यालय में सैक्शन 5.1 के X के 'ख' की प्रकिया विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार होगी।
		गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए एक सदस्य कुलपति एवं एक निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित किया जायेगा।
		निजी महाविद्यालय में 5.1 के X के 'ख' के अनुसार चयन समित का गठन किया जाता है।
		5.1 के X के यथा प्रस्तावित 'क', 'ग' 'ड' को अंगीकृत किया जाता है। 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' को गैर सरकारी/सरकारी के लिए अंगीकृत किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय के लिए 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के अनुसार अंगीकृत किया जाता है। राजकीय महाविद्यालय को छोड़कर उप नियम 5.2 की प्रकिया यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार होगी। राजकीय महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रकिया अपनायी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के सैक्शन 5.3 एवं 5.4 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	उप–नियम 6.0 चयन प्रक्रिया	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि उप–नियम–6.1	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है बशर्ते राजकीय महाविद्यालय के प्रकरणों में उच्च शिक्षा निदेशालय/शासन स्तरपर प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के तहत निष्पादित किया जाय।
नियम–6	उप–नियम–6.2–6.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–7	उप–नियम–7.1, 7.2 सम कुलपति (Pro-Vice Chancellor) का चयन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

नियम–7	उप–नियम–7.3 कुलपति का चयन	कुलपति के चयन प्रकिया को अंगीकृत किया जाय किन्तु चयन समिति एवं सर्च कमेटी का गठन संबंधित विश्वविद्यालयों के तत्समयक प्रचलित एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा।
नियम–8	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ।	सरकारी राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार होगी।
नियम–9	शोध संवर्धन अनुदान	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।
नियम–10	सी.ए.एस.के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–11	परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–12	शिक्षकों के पदों का सृजन और उनको भरा जाना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–13	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियाँ	संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया/मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। गैस्ट फैकल्टी को प्रतिवादन रुपये 500/- या समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
नियम–14	शिक्षण के दिवस	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–14	प्रावकाश उप–नियम–14.2	जैसे कि राज्य सरकार के नियमों मे शिक्षकों के लिए समय–समय पर लागू है।
नियम–15	कार्यभार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–15	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपलब्धता उप–नियम–15.1	प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह मे 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता होगी।
नियम–16	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–17	पेशेवर/प्रोफेशनल आचार संहिता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	अनुदान उप–नियम–18.4	इन विनियमों मे निर्धारित उपबंधों के अन्तर्गत सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को ल शोध/कंप्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।
नियम–19	पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन उप–नियम–19.1	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम–19	पदोन्नति	सरकारी विश्वविद्यालयों में संबंधित

Scanned by CamScanner

	उप-नियम-19.2	विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम-19	वेतन और भत्ते उप-नियम-19.3	भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।

NPS

उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7

संख्या- 21/XXVII(7)/40/वि0/2005

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका पेंशन राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नई भर्तियों पर वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना" के स्थान पर परिभाषित "अंशदान पेंशन योजना" लागू करने को निम्नलिखित प्रकार से अनुमोदित किया है :-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और उपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष से कम की हों, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकर्ता, जो वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, उन्हें पूर्व से परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक टियर-2 खाता भी रख सकते हैं, परन्तु सेवायोजक टियर-2 खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर-2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने

"टियर-2" खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत् का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-1 को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत् होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे, जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल-1961 एवं उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली-1985 के सुसंगत प्राविधान इस क्रम में संशोधित किये गये हैं।

3- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद नव-नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रपत्र-1 (संलग्न) पर वांछित विवरण, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रपत्र-2 (संलग्न) पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित कोषागार एवं निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड (डालनवाला), देहरादून को भेजा जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल द्वारा प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के आधार पर कम्प्यूटर पर आधारित एक "डाटा बेस" तैयार किया जायेगा, जिसे भारत सरकार में केन्द्रीय अभिलेखपाल/Central Record Keeping Agency (CRA) एवं पेंशन निधि प्रबन्धक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु विवरण, प्रपत्र-3 (संलग्न) पर सूचना तैयार कर वेतन देयक (bill) के साथ संलग्न करके प्रेषित किया जायेगा जिसे प्रतिमाह की 05 तारीख तक कोषागार द्वारा इसी प्रपत्र पर आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षवार संकलित सूचित निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि

-3-

प्रबन्धक की नियुक्ति न कर दी जाय, इस प्रकार के लेखों का रखरखाव उक्त निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक द्वारा कार्य संचालन के पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज दर अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5— जब तक अलग से मानक मद निर्धारित नहीं किया जाता, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को 01–वेतन मद से ही भुगतान किया जायेगा, जो वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् के बराबर होगी। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के इनपुट–1 में अन्य वेतन शीर्षक के अधीन "एकीकृत पेंशन हेतु वेतन" के अन्तर्गत भुगतान पुस्तांकित किया जायेगा।

6— पेंशन निधि में नियोक्ता के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् अंश की सकल धनराशि कोषागार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8011–बीमा तथा पेंशन निधि के लघुशीर्षक 106–अन्य बीमा तथा पेंशन निधि के उपशीर्षक 05–पेंशन निधि में अंशदान तथा पुनर्विनियोग की इकाई/मानक मद 33–पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के बाद, उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबन्धक को भेजा जायेगा। निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), केन्द्रीय अभिलेखपाल (CRA), राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्रोतों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— नवीन पेंशन योजना के प्रशासनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 01 अक्टूबर, 2005 होगी।

संलग्नक:– निर्धारित प्रपत्र(3)

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 21(1)/XXVII(7)अं०पे०यो०/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 52/XXVII(7)56/2012
देहरादून, दिनांक 12 मार्च,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय– दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाएं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना संख्या–21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या –132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या–272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके है।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों से वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिको हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियो की भांति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाऐं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2– ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो योजना से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलापो हेतु उत्तरदायी होगा।

3– योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि क्रमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेगी।

4– ऐसी संस्थाओं को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर क्रियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5– उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर किपेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाऐं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6– समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या– 21/XXVII (7) अपेयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हों (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7– शासनादेश सं0– 174 /XXVII (7)म0पें0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौंपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिंग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8– योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म क्रमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9– सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रस्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध है, केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आकड़े व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा क्रमशः सी0आर0ए0 व ट्रस्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा, विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाऐं अपनाए गये प्रारूप से मास्टर किपेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत करायेंगी।

10– योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रानिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 को डाटा अपलोड व ट्रस्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जाय, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11– उपरोक्त पंजीकरण प्रक्रिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर से किया जायेगा।

12– उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेबसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13– एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सबस्काइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रस्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14– पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15– उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16– शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अ0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के अंश अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

4

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

16.12– विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनियम 15.11 से 15.21 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रमशः शब्द "कार्य परिषद् और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हों।

भाग–3

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु

16.13– इस भाग में, पद "नये वेतनमान" का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश से है।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

15.10– कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग 2

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी संबंधी नियम

15.11– छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :–

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) बीमारी की छुट्टी;

(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;

(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;

(छ) प्रसूति छुट्टी

(ज) पितृत्व छुट्टी

15.12– आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र मे चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

15.13– एक सत्र मे दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और वह 60 कार्य–दिवस तक संचित की जा सकती है।

15.14– बीमारी की छुट्टी,वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायेगी और संचित नहीं होगी।

15.15– विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमे कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिये 15 कार्यदिवस तक की कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

15.16– किसी एक सत्र मे एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिए दी सकती है :

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य–परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "अध्यापक अधिछात्रवृत्ति" के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए किया गया हो, ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी सकती है।

15.17– असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दी सकती है, किन्तु परिनियम 15.09 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, या विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये बढ़ायी जा सकती है।

स्पष्टीकरण (1)– कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रुप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा, धारा 35(1)

स्पष्टीकरण (2)– राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेंशियल हैण्डबुक, भाग 2 से 4 के फण्डामेंटल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय–मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोकहित में रहा हो।

15.18– अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा–अवधि में दो जीवित बच्चो की सीमा तक तीन बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

15.19– छुट्टी अधिकार स्वरुप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृति प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

15.20– किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन,छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक को जो उनके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मॉगने के लिए सक्षम होगा।

15.21– दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

15.22– पितृत्व अवकाश अधिकतम 15 दिन की अवधि हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 बार देय होगा।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या: २८/ xxvii(7) / 2009
देहरादून:दिनांक: अगस्त,2009

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:–प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3.उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4.उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

5.उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6.संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: २८(1) / XXVII(7) / 2009 तददिनाँक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7
संख्या– /XXVII(7)34(1)/2009
देहरादून : दिनांक 12 [illegible], 2016

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार की अस्थायी/स्थायी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन का भुगतान यथाविहित नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 190/XXVII(7)34(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 11 /xxvii(7)34/2011
देहरादून, दिनांक 31 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय– राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि मे सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल मे अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बडे जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप मे नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।

(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलेण्डर वर्ष मे अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।

(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) परिवीक्षा काल मे बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों मे यदि नियुक्ति अधिकारी चाहे तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रशिक्षण शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षिकाओं (UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त